फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

मल्ली देवी बनाम प्रहलादस्वरूप वगै0

किस्म मुकदमा– दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा मु0नं0– 34/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार सिकराय द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मे कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर पेश किए जा चुके है। बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव सही होना जाहिर किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा कुर्रेजात प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तथा बहस उभयपक्ष का मनन किया गया। तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम डिक्री जारी किए जाने योग्य प्रतीत होते है, उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है। अतः वाके रामा बुजोट तह0 सिकराय जिला दौसा की पत्रावली में प्रश्नगत भूमि के तकास्मा हेतु तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार कर दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है, जो कि निम्न प्रकार है–1. खसरा नम्बर 294/1, 350/1 तथा 86/1 में मल्ली देवी पत्नि बनवारीलाल जाति मीना सा0 देह खातेदार तथा खसरा नम्बर 294/2, 350/2 एवं 86/2 में प्रहलादस्वरूप पुत्र गिर्राज जाति मीना सा0 देह खातेदार राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा मानपुर खातेदार होंगे। कुर्रेजात प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेंगे। तथा प्रतिवादी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह तकास्मानुसार कुर्रेजात प्रस्ताव में दर्शित वादी के हिस्से की खातेदारी भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार सिकराय को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर इस न्यायालय की मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	